न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर
पीठासीन अधिकारीः एल0एन0मंत्री, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 30 / 2021 अपील / चित्तौड़गढ़ (GCMS 2021/31)
पंजीयन दिनांक– 04.02.2021
निर्णय दिनांक– 21.12.2021

1. श्रीमती दाखी बाई पुत्री भैरूदास वैरागी, निवासी मण्डफिया (सांवलियाजी), तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़।

–अपीलांट

बनाम

1. श्री कालुदास पुत्र भैरूदास वैरागी, निवासी मण्डफिया (सांवलियाजी), तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़।
2. श्रीमती बदाम बाई पुत्री भैरूदास पत्नि गोवर्धनदास वैरागी, निवासी मण्डफिया (सांवलियाजी), तहसील भदेसर, हाल मुकाम सेगवा, तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ।
3. श्रीमती मथरी बाई पुत्री भैरूदास वैरागी, निवासी मण्डफिया (सांवलियाजी), तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़।
4. ग्राम पंचायत मण्डफिया जरिये सरपंच ग्राम पंचायत मण्डफिया, तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़।

–रेस्पोडेंट्स

उपस्थितिः–

1. श्री नरेश जणवा – अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री पी. सी. पालीवाल – अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख 1 से 4
2. श्री मुरलीधर पालीवाल राजकीय अभिभाषक – अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 5

अपील अन्तर्गत धारा–76 भू–राजस्व अधिनियम 1956

विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, भदेसर के प्रकरण संख्या

03 / 2018 निर्णय दिनांक 23.09.2020

निर्णय

दिनांक 21.12.2021

अपीलांट द्वारा यह द्वितीय अपील अंतर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी, भदेसर के प्रकरण संख्या 03/2018 निर्णय दिनांक 23.09.2020 के विरूद्ध दिनांक 15.10.2020 को प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 81 एल. आर. एक्ट के साथ न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर को पेश की गई। न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर के आदेश क्रमांक 449–50 दिनांक 28.01.2021 के क्रम में जिला चित्तौड़गढ़ का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय में स्थानांतरित किया जाने से न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर से स्थानांतरित होकर दिनांक 04.02.2021 को दर्ज की गई।

इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट ने एक अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध नामांतरण संख्या 493 दिनांक 26.02.1999 ग्राम पंचायत मण्डफिया के पेश कर निवेदन किया कि उसके स्वामित्व आधिपत्य एवं कब्जे की पैत्रक संपत्ति मौजा गीदाखेडा, पटवार हल्का मण्डफिया के साबिक आराजी नम्बर 319/1 रकबा 7 बीघा भूमि स्थित है, जिसके हाल आराजी नम्बर 578, 579 कुल किता 2 रकबा 1.5100 हैक्टेयर भूमि होकर अपीलांट के स्व. पिता श्री भैरूदास के खातेदारी आधिपत्य की भूमि थी तथा उनकी मृत्यु के बाद विरासत से अकेले अपीलांट की माता व उसके भाई रेस्पोडेंट संख्या 1 के नाम नामांतरण तस्दीक कर दिया गया, जबकि विधि अनुसार अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 2 व 3 भी उक्त भूमि में विरासत से बराबर हक अधिकार व स्वामित्व रखते है तथा उनका भी उक्त भूमि में बराबर का हिस्सा है। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 03/2018 दर्ज कर निर्णय दिनांक 23.09.2020 से अपील मयाद के

बिन्दु पर खारिज की जाने से अप्रसन्न होकर अपीलांट द्वारा यह द्वितीय अपील अंतर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत अपील पेश की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 23.09.2020 से निम्नानुसार निर्णय पारित किया हैः– *"विद्धान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्को पर मनन किया गया पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों के आलोक में न्यायालय का मत है कि अपीलार्थी द्वारा परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 5 विलम्ब शमन करने के लिए 23 वर्ष का विलम्ब कारण स्पष्ट करने हेतु कोई ठोस कारण एवं उचित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए है केवल मात्र प्रकरण में विषयवस्तु को आधार बनाकर परिसीमा अधिनियम के सिद्धांतों का दुरूपयोग प्रतीत होता है। फलस्वरूप अपील के साथ प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र खारिज किा जाता है साथ ही अपील भी मियाद के बिन्दु पर ही खारिज की जाती है जब मियाद के बिन्दु पर अपील को खारिज कर दिया गया है तो अपील के गुणावगुण पर कोई निष्कर्ष दिया जाना उचित नहीं है।"*

उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह द्वितीय अपील पेश की गई है।

यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री नरेश जणवा उपस्थित व रेस्पोडेंट संख्या 1 से 4 की ओर से अधिवक्ता श्री पी. सी. पालीवाल उपस्थित तथा रेस्पोडेंट संख्या 5 की ओर से श्री मुरलीधर पालीवाल, राजकीय अभिभाषक उपस्थित, उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस दिनांक 09.12.2021 को सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि आलौच्य नामांतरण संख्या 493 पर ग्राम पंचायत द्वारा गलत निर्णय पारित

किया गया है, जो अपीलांट के हितों के मुकाबले शून्य है। तथा नामांतरण अवैधानिकता लिये हुए है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में भी संशोधन करते हुए पैत्रिक संपत्ति में से पुत्रियों को भी पुत्र के समान हक अधिकार दिये जाने का नियम प्रतिपादित किया गया है। अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस के समर्थन में विविध दृष्टान्त एवं न्यायिक विनिश्चय क्रमशः RRT 2018-19 PAGE 145, RRT 2011 (2) PAGE 757 का हवाला प्रस्तुत करते हुए अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 23.09.2020 निरस्त किया जाकर अपील अपीलांट स्वीकार किया जाने बाबत निवेदन किया गया।

अधिवक्ता रेस्पोंडेण्ट संख्या 1 से 4 ने अपनी बहस में बताया कि प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भदेसर द्वारा दिनांक 23.09.2020 से पारित निर्णय नियमानुसार होकर उचित है। अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस के समर्थन में विविध दृष्टान्त एवं न्यायिक विनिश्चय क्रमशः RRD 1991 PAGE 252, RRD 2018 PAGE 360, RRD 1993 PAGE का हवाला प्रस्तुत करते हुए अपील अपीलांट खारिज की जाने बाबत् निवेदन किया गया।

अधिवक्ता रेस्पोंडेण्ट संख्या 5 राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भदेसर द्वारा दिनांक 23.09.2020 से पारित निर्णय नियमानुसार होकर उचित है। अतः उक्त अपील प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय पारित किये जाने बाबत् निवेदन किया गया।

प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि ग्राम पंचायत के समक्ष मृतक भैरूदास की विरासत के नामांतरण में उसके पुत्र रेस्पोडेंट कालुदास पत्नि अणछाई व अपीलांट दाखी बाई व रेस्पोडेंट संख्या 2, 3 व 4 जो की पुत्रियां है के नाम राजस्व पटवारी व गिरदावर द्वारा खोल कर स्वीकृति हेतु पेश किया गया। ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 26.02. 1999 को पुत्र कालुदास एवं अणछाई के मौजूद होने का अंकन करते

हुए पुत्र कालुदास व बेवा अणछाई के नाम ही नामांतरण स्वीकृत किया। उक्त नामांतरण संख्या 493 दिनांक 26.02.1999 से रूष्ट होकर पुत्री दाखी बाई द्वारा अधीनस्थ न्यायाल में अपील प्रस्तुत की, उक्त अपील संख्या 03/2018 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 23.09.2020 को मयाद बाहर मानते हुए खारिज कर दिया जिससे रूष्ट होकर वर्तमान अपील इस न्यायालय में विचाराधीन है।

प्रकरण में अब हम गुणावगुण पर उभयपक्ष द्वारा की गई प्लीडिंग्स, मौखिक बहस, न्यायिक नजीरे व दस्तावेजात के आधार पर विवेचन करना उचित समझते है। अपीलांट का सर्वप्रथम उज्र यह है कि अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 1 से 3 मृतक भैरूदास के प्रथम श्रेणी के वारिस है और उनको उनके अधिकारों से निराधार वंचित नही किया जा सकता, ऐसा आदेश प्रथम दृष्टया वोईड ऐब इनिश्यों है तथा ऐसे प्रकरणों में मयाद लागु नही होती। प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय किया जाना वांछनिय है। शादी में उनका हिस्सा दे दिया जाने से वे अधिकारों से यानि बहने वंचित नही होती। राजस्व कर्मियों द्वारा खोले गये नामांतरण में पुत्रियों का नाम अंकित होने के बावजूद उन्हे पंचायत द्वारा वंचित किया जाना उचित नहीं है।

इसके विपरीत रेस्पोडेंट ने दावा प्रस्तुत कर दिये जाने तथा मयाद का बिन्दु महत्वपूर्ण होने व अन्य बहनों द्वारा भी पूर्व जानकारी होने का कथन करने के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को उचित बताया।

समस्त कथनोपकथन, दस्तावेज का अवलोकन करने के बाद हम इस अभिमत के है कि पंचायत द्वारा पुत्रियों का नाम हटाने का जबकि राजस्व कर्मियों द्वारा हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार समस्त प्रथम श्रेणी के वारिसान यानि बेवा, पुत्र व पुत्रियों के नाम अंकित किये थे, तो पुत्रियों को वंचित किये जाने का तथा सिर्फ बेवा

व पुत्र के नाम नामांतरण स्वीकृत किये जाने का एवं पुत्रियों वंचित किये जाने का कोई आधार नही दिया है, तद्नुसार पंचायत का निर्णय प्रथम दृष्टया प्राकृतिक न्याय एवं विधि विरूद्ध है तथा ऐसे निर्णयों में मयाद गौण होती है। हम यह भी पाते है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ऐसी कोई पुष्टि कारक साक्ष्य नही थी जिससे यह स्थापित हो सके कि अपीलांट को ग्राम पंचायत के निर्णय की पूर्व जानकारी आवश्यक रूप से हुई हो। विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि जब प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय योग्य महत्वपूर्ण तथ्य हो तो मयाद की जगह गुणावगुण पर निर्णय किया जाना वांछनिय होता है। इस प्रकरण में स्पष्टतया स्थापित विधि व प्राकृतिक न्याय के विरूद्ध निर्णय होना अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष स्पष्ट था फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सिर्फ मयाद पर निर्णय के आधार पर अपीलांट की अपील बिना पुष्टि कारक साक्ष्य के खारिज कर दी। रेस्पोडेंट द्वारा अपीलांट के द्वारा वाद दायर किये जाने के जो तर्क दिये गये है उसके विरूद्ध अपीलांट का यह कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 23.09.2020 को जो उसके विरूद्ध निर्णय किया गया है उसकी अपील दिनांक 28.09.2020 को की है तथा वाद भी 28.09.2020 को ही पेश किया है, अपीलांट ने यह भी कथन किया कि वाद प्रस्तुत कर देने से अधीनस्थ न्यायालय के त्रुटिपूर्ण निर्णय को अपील में मान्यता नही दी जा सकती। हम अपीलांट के तर्क से सहमत है तथा वाद पूर्व से लम्बित नही था।

रेस्पोडेंट द्वारा न्यायिक नजीरे आर.आर.डी. 1991 पेज 252 तथा आर.आर.डी. 2018 पेज 360 पेश की है जो मयाद शमन के औचित्यपूर्ण आधार होने संबंधित है जबकि इस प्रकरण में प्राकृतिक न्याय एवं कानून असम्मत निर्णय होने के प्रथम दृष्टया तथ्य उपलब्ध है तद्नुसार यह नजीरे इस प्रकरण पर चस्पा नही होती है।

उपरोक्त समग्र विवेचन से हम इस निष्कर्ष पर पंहुचे है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस प्रकरण में प्राकृतिक न्याय एवं विधि विरूद्ध निर्णय होने के प्रथम दृष्टया तथ्य होने तथा मयाद के आधार पर अपील खारिज करने के कोई पुष्टि कारक तथ्य नही होने के बावजूद अपीलांट की अपील खारिज करने का जो निर्णय किया है, वह हमारे उपरोक्त विवेचन एवं विधि सम्मत नही होने से खारिज किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्षों को विधिवत सुनवाई का अवसर देकर प्रकरण में गुणावगुण आधार पर विधि सम्मत निर्णय पारित करे। पक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 10.02.2022 को उपस्थित रहें।

(एल.एन.मंत्री)
अति.संभागीय आयुक्त
उदयपुर

मिसल शुमार फैसल हो, निर्णय सुनाया गया।

(एल.एन.मंत्री)
अति.संभागीय आयुक्त
उदयपुर